न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 157/2024

सदराम पुत्र हुकमाराम विश्नोई
बनाम
जगमाल पुत्र भगवाना विश्नोई वगैरा

दिनांक 27.04.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 112/2024 बअनवान जगमाल वगैरा बनाम भाखराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 से 6–प्रार्थी–जगमाल वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील सेड़वा स्थित ग्राम आदर्श सोनड़ी के खातेदारी खसरा नम्बर 1163/12, 1164/12, 1165/10, 9, 1162/2 तथा ग्राम समराथल धोरा के ख0नं0 274 की उल्लेखित रकबा भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो, दोनों पक्षकारान के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किए बिना, मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश व नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 12–सदराम ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट श्री कैलाश कुमार प्रजापत एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 6 के अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राठौड़ व प्रत्यर्थी सं0 9 व 16 के अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह, प्रत्यर्थी सं0 7, 8 व 10 से 15 एवं 20 के अधिवक्ता मोहम्मद असलम तथा 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2024 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 से 6–प्रार्थी–जगमाल वगैरा ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष निगरानी एल.आर.एक्ट संख्या 3452/2025 जिला बाडमेर प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज करते हुए, न्यायहित में यह निर्देश दिये गये है कि प्रकरण में रेस्पो0सं0 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 39 नियम 4 बाबत अंतरिम व्यादेश के आदेश को अपास्त करने, पर उभय पक्ष को सुनकर एक माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। दौरान सुनवाई उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की मौखिक सहमति से हस्तगत अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 6–प्रार्थी–जगमाल वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील सेड़वा स्थित ग्राम आदर्श सीमड़ी के खातेदारी खसरा नम्बर 1163/12, 1164/12, 1165/10, 9, 1162/2 तथा ग्राम समराथल धोरा के ख0नं0 274 की उल्लेखित रकबा भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण पडौसी खातेदारान से काश्त एवं सेढ़ों को लेकर विवाद होने का अभिवचन किया गया, जबकि पक्षकारान के मध्य पूर्वजों के समय से हुए मौखिक विभाजन के अनुसार सभी बिना किसी सीमा विवाद के अपने–अपने हक–हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए बिना सीमाविवाद के धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष पूर्व प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में जानबूझ कर उक्त तथ्यों को छुपाया गया है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर नही दिया गया। इस बिनाय पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

दरअसल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.5.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.5.24 नियत कर दर्ज एवं नोटिस जारी के आदेश दिये गये। उक्त सम्मन अप्रार्थीगण को दिनांक 17.5.24 को पोस्ट किए गये, जो नियत तारीख पेशी से पूर्व अपीलांट को प्राप्त नही हुए, बल्कि दिनांक 24.04.24 को करीब 3.00 पीएम

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्राप्त हुए। दिनांक 20.5.24 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सबूत नही था, जिसके आधार पर अपीलार्थी के सम्मन तामिल प्रर्याप्त मान ली जावे। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के सम्मन तामिल मानते हुए जवाब हेतु दिनांक 24.05.24 नियत कर, अत्यंत जल्दबादी में एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विधिक रूप से 30 दिवस का अपीलीय प्रावधान है, जबकि उक्त आदेश की पालना हेतु दिनांक 24.05.24 को ही तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी कर दी गई। अपीलाधीन आदेश बिना पैमाईश एवं बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 6–प्रार्थीगण द्वारा अपने मालिकाना हक–हिस्से की खातेदारी व राजस्व नक्शें में पृथक से तरमीम सुदा, कब्जाकाश्त कृषि भूमि का सीमांकन एवं नेखमबंदी हेतु आग्रह किया गया था। वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 08.06.2015 को किया गया था, जिसके निर्णय एवं डिगरी में कब्जा रिपोर्ट उल्लेखित है। तत्समय पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नही था। बाद में पडौसी खातेदार प्रार्थी के खेत में कब्जे की नियत से माठ पर वर्षो पुराने पेड–पौधे एवं थोर को काटने व माठो को तोडने का प्रयास करते रहते है। जिसका स्थायी समाधान हेतु प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमानुसार नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया। अप्रार्थी –अपीलांट को जारी रजिस्टर्ड सम्मन की डाक रसीदे व ट्रेकिंग रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार अपीलांट को दिनांक 24.05.24 को सम्मन तामिल के उपरांत ये स्वयं अथवा इनकी ओर से उक्त तिथी को सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नही होने से एकतरफा आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा आदेश को अविधिक रूप से चुनौति दी गई। आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद नही होने से अपीलांट–अप्रार्थी को सुनवाई हेतु ओर अवसर दिया जाना आवश्यक नही है। इसके बावजूद

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2024 प्राप्त कर लिया गया, जिसकी वजह से मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना संभव नही हो पा रही है। प्रकरण में रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.24 को प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 बाबत अंतरिम व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वकील अपीलांट को उसी दिनांक उपलब्ध करवा दी गई। इसके उपरांत पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस हेतु लंबित रही। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 17–तहसीलदार सेडवा की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध डाक रसीद एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट–अप्रार्थी सं0 12 को जारी सम्मन की डिलीवरी दिनांक 24.05.24 को हुई। इससे साबित है कि अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। चूंकि अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 12 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 112/2024 बअनवान जगमाल वगैरा बनाम भाखराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु यथासंभव 02 माह में विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 27/4/26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

27/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर